न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

राजस्व वाद सख्या– 56/2012

1. श्री बाबू पुत्र श्री काना
2. श्री नारायण पुत्र श्री काना
3. श्री किशना पुत्र श्री काना
4. श्री छोटू पुत्र श्री काना
5. श्री बीरमा पुत्र श्री काना

समस्त जाति रावत निवासियान –ग्राम मानपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0) .....वादीगण

बनाम

1. श्री नारायण सिंह पुत्र श्री मोती
2. श्री मती हीरी पत्नी श्री मोती

समस्त जाति रावत निवासियान –ग्राम किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर

3. श्री मान् उपपंजीयन एवं तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर (राज0) .....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री सलीम बाबू
   एडवोकेट वादी
2. श्री ओमप्रकाश कलवार
   एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक15.12.2016**

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा न0 2135 रक्बा 1–07–00 व 2136 रक्बा 1–03–00 किता 2 रक्बा 2–10–00 बीघा भूमि वादीगण के पिता स्व0 काना पुत्र कम्मा ने अन्य आराजी ख0 न0 2084 व 2087 के साथ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 मोती वल्द घासी से बिल एवज प्रतिफल 15–05–1978 को खरीद कर सभी भूमियों का मोके पर भोतिक रूप से कब्जा संमाल लिया था। वादीगण के पिता स्व0 काना अपने जीवन काल में इन पर काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण काबिज काश्त चले आते है। ख0 न0 2084 व 2087 में तो वादीगण के पिता का नाम बहैसियत खातेदार लगा दिया गया लेकिन सहवन से विवादित ख0 न0 2135 व 2136 में नहीं लगाया जा सका है और ये दोनों नम्बर आज भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मोती वल्द घासी के नाम चले आ रहे है जिसका नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विवादित आराजी न0 2135 व 2136 को दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है अतः वाद लाने की आवश्कयता हुई है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मोती के स्थान पर वादीगण के नाम लगवाने के आदेश प्रदान करावें तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में वादीगण के चले आ रहे कब्जे काश्त में दखंलदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेध किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर बावजूद तामीली सम्मन के जवाब पेश नही करने से बाद प्रयाप्त अवसर देने के जवाब हक बंद किये गये। शहादत वादी में वादी नारायण वल्द काना ने वाद कथन ही दोहराए है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 मोती वल्द घासी द्वारा वादीगण के पिता स्व काना वल्द कम्मा के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 15–05–1978 पर प्रदर्श 1 व ग्राम किराप की जमाबंदी संवत् 2065–2068 पर प्रदर्श 2 व 3 तथा नक्शा ट्रेस पर प्रदर्श 4 अंकित कराये है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

बहस विव्दान अभिभाषक सुनी गई। वादी अभिभाषक ने विक्रय पत्र दिनांक 15–05–1978 को उदृत करते हुए तर्क दिये कि क्रय शुदा आराजी दो भिन्न खातों की होने से एक खाते में मेरा नाम लगा दिया गया तथा दुसरे खाते में सहवन से नहीं लगाया जा सका है। में विवादित आराजी में बोनो फाईड पर्चेजर होकर खरीद रोज से ख0न0 2135 व 2136 की आराजी पर सबकी जाानकारी मे काबिज चला आ रहा हुॅ। और इनमें अपने नाम का अमल करानें का अधिकारी हूँ मेरा वाद स्वीकार कर बहक मेरे विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में हमारे नाम लगवाएं जावें। विर्तक में वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तर्क दिये कि विवादित भूमि पर हमारा कब्जा है और यह आराजी हमारे पूर्वज ने बेची ही नहीं है। दावा मय खर्चे खारिज किया जावें ।

मेनें बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का पूर्ण रूपेण अवलोकन किया। प्रदर्श 1 विक्रय पत्र दिनांक 15–05–1978 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 मोती वल्द घासी द्वारा वादीगण के पिता काना वल्द कम्मा को खाता संख्या 78 की आराजी खसरा न0 2084 व 2087 तथा खाता संख्या 81 की आराजी 2135 व 2136 को बेचान की गई है। इनमें से खाता संख्या 78 की आराजी में वादीगण के पिता का नाम लगा दिया गया है लेकिन खाता संख्या 81 की आराजी खसरा न0 2135 व 2136 में नहीं लगाया गया है। जो वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 2 संवत् 2065–68 में मोती वल्द घीसा की ही नाम चला आ रहा है जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विरासत दर्ज नहीं करवाया जाना यह दर्शाता है कि विवादित आराजी विक्रय की गई है तथा प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। संभवतः इसी कारण प्रतिवादीगण ने कोई प्रतिवाद पत्र पेश नहीं किया है। सभी तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विवेचन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है और –

बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 2135 रक्बा 1–07–00 व 2136 रक्बा 1–03–00 किता 2 रक्बा 2–10–00 बीघा किस्म बारानी 3 में खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा इन आराजियात में मोती वल्द घीसा रावत नि0 किराप के स्थान पर वादीगण सर्वश्री बाबू, नारायण, किशना, छोटू, व बीरमा पिता काना जाति रावतान निवासी ग्राम मानपुरा तहसील मसूदा का नाम लगाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रतिवादीगण को वादीगण की विवादित आराजी में दखंलदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है। वााद खर्च अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.20 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: